ए.

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

वी.

कांशी राम और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 6308)

बी.

14 अगस्त, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और आर**.** सुभाष रेड्डी**]**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894:एसएस।प्रत्यर्थीगण 4 प्रत्यर्थीगण,प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगण 6 प्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगण–प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगणचप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणजप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणु
प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणडप्रत्यर्थीगण़प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणणप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणएप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणधप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण-
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणडप्रत्यर्थीगण़प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणणप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण

प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणषप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगण 1 प्रत्यर्थीगण 9 प्रत्यर्थीगण 8 प्रत्यर्थीगण 8 प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणजप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण-प्रत्यर्थीगणजप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणछप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणडप्रत्यर्थीगऩ्प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणणप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणएप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण,प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणह्प्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणचप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणचप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणजप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणखप्रत्यर्थीगणटप्रत्यर्थीगणखप्रत्यर्थीगणटप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणऔप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणधप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणह्प्रत्यर्थीगण

णप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण-
प्रत्यर्थीगणइप्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण,प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणजप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगण-
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगण
तप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणटप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगण 1 प्रत्यर्थीगण 8 प्रत्यर्थीगण-प्रत्यर्थीगण 1 प्रत्यर्थीगण 5 प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगणघप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणधप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगण
णप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणएप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणधप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगण
णप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणह
प्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण-प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणधप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगण
णप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणधप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणूप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगण 5 प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणणप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणोप्र
त्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणगप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणृप्रत्यर्थीगणत
प्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणऔप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगणघप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण

प्रत्यर्थीगण 6 प्रत्यर्थीगण 6 प्रत्यर्थीगण 6 प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणएप्रत्यर्थीगण-
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणय
प्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणत
प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगण 2 प्रत्यर्थीगण 4 प्रत्यर्थीगण.प्रत्यर्थीगण 1 प्रत्यर्थीगण 1 प्रत्यर्थीगण.प्रत्यर्थीगण 2 प्रत्
यर्थीगण 0 प्रत्यर्थीगण 0 प्रत्यर्थीगण 4 प्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणखप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणआप्रत्यर्थीगणधप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगणघप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगण 7 प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणखप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणआप्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणजप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण।प्रत्यर्थीगण 4(1) अधिसूचना-
विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित भूमि के बाजार मूल्य पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देकर क्रॉस आपत्तियों को अनुमति दी।4(1) अधिनियम-राज्य और दावेदारों ने क्रमशः अपील दायर की-आयोजितःजिस बिक्री विलेख पर Ex.PW-1/A पर भरोसा किया गया था, उसके तहत पीडब्लू-2 द्वारा पीडब्लू-3 को केवल एक बिसवा भूमि बेची गई थी, Rs.50,000/- के विचार के लिए-पीडब्लू-2 भी इन कार्यवाहियों में एक दावेदार है-जब कुल भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तो संदर्भ न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की गई भूमि का बाजार मूल्य 7 लाख रुपये प्रति बीघा की दर से तय करने के उद्देश्य से एक तुलनीय बिक्री के रूप में Ex.PW-1/A में दस्तावेज़ स्वीकार करने में त्रुटि की-क्योंकि कोई अन्य दस्तावेजी सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है और आगे भी इसे ध्यान में रखते हुए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

608 ए.

609

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम कांशी राम ए

अपीलार्थीगण का यह आरोप कि पूर्व 'आर. ए.' दिनांक 'आई. डी. 1' में बिक्री विलेख, जिसके तहत निकटवर्ती गांव में वर्ष 2001 में जमीन बेची गई थी, पर वैध कारण बताए बिना विचार नहीं किया जाता है, राज्य की अपीलों को नए सिरे से विचार के लिए संदर्भ अदालत में प्रेषित किया जाता है-अधिसूचना की तारीख से 15 प्रतिशत पी. ए. की दर से दिए गए अतिरिक्त ब्याज को भी अलग कर दिया जाता है।

बी.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894:क्षतिपूर्ति, निर्धारण-तुलनात्मक बिक्री-भूमि की बड़ी सीमा-भूमि के छोटे हिस्से की बिक्री विलेख पर भरोसा किया गया-यदि उसी गाँव में कोई अन्य तुलनीय बिक्री उपलब्ध नहीं है, तो प्रासंगिक अवधि के दौरान आसपास के गाँवों में बिक्री पर विचार करने के लिए संदर्भ न्यायालय के लिए हमेशा खुला है-तत्काल मामले में, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में भी विक्रेता दावेदार था-इस तरह की बिक्री को भूमि के बड़े हिस्से यानी 18-15 बीघा के बाजार मूल्य को तय करने के उद्देश्य से एक तुलनीय बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है।

सी.

राज्य की अपीलों को अनुमति देना और मामले को संदर्भ न्यायालय को प्रेषित करना, न्यायालय

डी.

पकड़नाःजिस बिक्री विलेख पर भरोसा किया गया था, उसके तहत पीडब्लू-**2** द्वारा पीडब्लू-**3** को केवल एक बिसवा भूमि बेची गई थी, जिसे **Rs.50,000/-** के लिए बेचा गया था। पीडब्लू-**2** विवादित फैसले में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में भी दावेदार है।जब कुल **2** बीघा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तो संदर्भ न्यायालय और उच्च न्यायालय ने **1** करोड़ रुपये की दर से अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से एक

तुलनीय बिक्री के रूप में **1** करोड़ रुपये में दस्तावेज़ को स्वीकार करने में त्रुटि की। **7** लाख प्रति बीघा।चूंकि कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और आगे अपीलार्थीगण के इस आरोप को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व आर**.** ए**.** दिनांक **04.05.2001** में बिक्री विलेख जिसके तहत वर्ष **2001** में आसपास के गांव में भूमि की **4-51** बीघा जमीन बेची गई थी**,** वैध कारण बताए बिना विचार नहीं किया जाता है**,** राज्य द्वारा दायर इन अपीलों को संदर्भ/जिला न्यायालय द्वारा नए सिरे से विचार के लिए मामले को भेजकर अनुमति दी जानी चाहिए।जितना पी**.** डब्ल्यू**.-2 Ex.PW-1/A** के तहत विक्रेता है**,** जो भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में दावेदारों में से एक के अलावा और कोई नहीं है**,** इस तरह की बिक्री को भूमि के बड़े हिस्से यानी **18-15** बीघा के बाजार मूल्य को निर्धारित करने के उद्देश्य से एक तुलनीय बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता था।यदि उसी गाँव में कोई अन्य तुलनीय बिक्री उपलब्ध नहीं है**,** तो यह

ई.

एफ.

जी.

एच.

610 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 10 एस. सी. आर.

प्रासंगिक अवधि के दौरान आसपास के गांवों में बिक्री पर विचार करने के लिए संदर्भ न्यायालय के लिए हमेशा खुला है।अन्यथा भी**,** मुआवजे को तय करने के अन्य तरीके हैं।रुपये की दर से बाजार मूल्य का इस तरह का गलत निर्धारण। संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रति बीघा **7** लाख रुपये**,** उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं होना चाहिए था।चूंकि राज्य द्वारा दायर अपीलों को इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाती है**,** इसलिए अधिसूचना की तारीख से प्रति वर्ष **15** प्रतिशत की दर से दिए गए अतिरिक्त ब्याज को भी अलग कर दिया जाता है।यह संदर्भ न्यायालय के लिए खुला है कि वह कानून के अनुसार कब्जा लेने की तारीख से धारा **4 (1)** अधिसूचना जारी करने की तारीख तक अतिरिक्त ब्याज के अधिनिर्णय के लिए दावेदारों के दावे पर विचार करे।**[**पैरा **14,15] [614-**बी**-**जी**; 615-**सी**-**डी**]**

बी.

सी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 6308।

2011 के आर. एफ. ए. No.202 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 31.07.2017 से।के साथ

डी.

2019 की सिविल अपील संख्या 6309,6310,6311,6312,6313,6314,6315,6316,6317,6326,6318,6319,6320,6321,6322,6323,6324,6325,6327-6328,6331,6332,6330,6329,6333,6334।

ई.

अभिनव मुखर्जी, ए. ए. जी., सिद्धार्थ गर्ग, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, बी. एस. बंथिया, जे. एल. भारद्वाज, राजेश कंदारी, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

एफ.

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. ये सभी दीवानी अपीलें दायर की जाती हैं, जो 2011 और बैच के R.F.A.No.202 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.07.2017 के फैसले से व्यथित हैं, जैसे कि उनकी एक साथ सुनवाई की जाती है और इस सामान्य फैसले द्वारा उनका निपटारा किया जाता है।

जी.

4. दीवानी अपीलों के इस समूह में अपीलों के दो समूह हैं।दीवानी अपीलों का एक समूह राज्य द्वारा दायर किया जाता है और दीवानी अपीलों का दूसरा समूह भूमि के प्रतिवादियों-दावेदारों द्वारा ए के अनुदान के लिए दायर किया जाता है।

एच.

उन्हें दिए गए मुआवजे पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज।निपटान के उद्देश्य से हम 2018 की एस. एल. पी. (सिविल) No.29319 से उत्पन्न सिविल अपील को प्रमुख मामले के रूप में मानते हैं।

5. ग्राम पंचायत, नामहोल ने अपीलार्थीगण से नामहोल से बहादुरपुर तक सड़क के निर्माण के लिए अनुरोध किया।ग्राम पंचायत द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थीगण ने गांव टेप्रा, उप तहसील नामहोल, जिला बिलासपुर से सड़क का निर्माण किया है।यह कहा गया है कि सड़क निर्माण के उपरोक्त उद्देश्य के लिए, भूमि का कब्जा वर्ष 1988 में लिया गया था।

बी.

6. जब सड़क के निर्माण के लिए भूमि का कब्जा ले लिया गया, तो भूमि के कुछ मालिकों, जिनकी भूमि का उपयोग सड़क के निर्माण के लिए किया गया था, ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 2004 के आई. डी. 1 में रिट याचिका दायर की, जिसमें शिकायत की गई कि उनकी भूमि का उपयोग कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण के बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था।उपरोक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अपीलार्थीगण ने टेप्रा गांव में स्थित भूमि के 18-15 बीघा अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी है।भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में 30.7.2005 पर प्रकाशित की गई थी।आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने भूमि के वर्गीकरण के आधार पर अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन करके निम्नानुसार एक सामान्य पुरस्कार पारित किया हैः-

सी.

डी.

ई.

प्रति बीघा भूमि दर का वर्गीकरण
प्रति बीघा भूमि दर का वर्गीकरण
1. अंद्राली अवल Rs.61,666.00
प्रति बीघा भूमि दर का वर्गीकरण
2. अंद्राली डोएम

Rs.51,666.00
प्रति बीघा भूमि दर का वर्गीकरण
3. बहरली अवल Rs.41,666.00
प्रति बीघा भूमि दर का वर्गीकरण
4. बहरली डोएम Rs.20,000.00
5. खरियाटर और बंजर रु. 5,000.00

एफ.

7. भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर से संतुष्ट नहीं, उत्तरदाताओं-दावेदारों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा है और उनके दावों को जिला न्यायालय को भेजा गया है।संदर्भ न्यायालय ने अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर मुआवजे में वृद्धि करते हुए एक लाख रुपये की समान दर तय की। 7 लाख प्रति बीघा के लिए

जी.

एच.

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य परिणामी लाभों के साथ भूमि की सभी श्रेणियां, वर्गीकरण की परवाह किए बिना।

8. एक लाख रुपये का मुआवजा तय करने वाले संदर्भ न्यायालय के फैसले से व्यथित। प्रति बीघा 7 लाख रुपये की दर से अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण पर सवाल उठाते हुए अपीलार्थीगण ने 2011 और बैच के R.F.A.No.202 को प्राथमिकता दी है। 7 लाख प्रति बीघा।राज्य द्वारा की गई अपीलों में, प्रत्यर्थीगण ने कब्जा लेने की तारीख से लेकर धारा

4 (1) अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक ब्याज का दावा करने वाली परस्पर आपत्तियों को प्राथमिकता दी है।विवादित निर्णय द्वारा शिमला में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय द्वारा राज्य द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत जारी अधिसूचना की तारीख यानी 30.7.2005 तक संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित भूमि के बाजार मूल्य पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देकर परस्पर आपत्तियों को स्वीकार कर लिया।उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने ये अपीलें दायर की हैं।प्रत्यर्थीगणओं-दावेदारों ने न केवल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बाजार मूल्य पर, बल्कि प्रत्यर्थीगणओं को देय कुल मुआवजे पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हर्जाने के रूप में ब्याज का दावा करने वाली अपीलों को भी प्राथमिकता दी।

बी.

सी.

डी.

विद्वान अधिवक्ता 9 विद्वान अधिवक्ता .विद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता हविद्वान अधिवक्ता मविद्वान अधिवक्ता नविद्वान अधिवक्ता ेविद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगणविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ओविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता सविद्वान अधिवक्ता ेविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता शविद्वान अधिवक्ता ्विद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता अविद्वान अधिवक्ता भविद्वान अधिवक्ता िविद्वान अधिवक्ता नविद्वान अधिवक्ता वविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता मविद्वान अधिवक्ता ुविद्वान अधिवक्ता खविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता ्विद्वान अधिवक्ता जविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता औविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगणविद्वान अधिवक्ता ओविद्वान अधिवक्ता ंविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ओविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता सविद्वान अधिवक्ता ेविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता शविद्वान अधिवक्ता ्विद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता बविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता .विद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता एविद्वान अधिवक्ता सविद्वान अधिवक्ता .विद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता बविद्वान अधिवक्ता ंविद्वान अधिवक्ता थविद्वान अधिवक्ता िविद्वान अधिवक्ता यविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता ोविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता उविद्वान अधिवक्ता पविद्वान अधिवक्ता सविद्वान अधिवक्ता ्विद्वान अधिवक्ता थविद्वान अधिवक्ता िविद्वान अधिवक्ता तविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता हविद्वान अधिवक्ता ोविद्वान अधिवक्ता तविद्वान अधिवक्ता ेविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता हविद्वान अधिवक्ता ुविद्वान अधिवक्ता एविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता सविद्वान अधिवक्ता ुविद्वान अधिवक्ता नविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता हविद्वान अधिवक्ता ैविद्वान अधिवक्ता ।विद्वान अधिवक्ता

ई.

10. अपीलों के इस समूह में, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से पेश श्री अभिनव मुखर्जी विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि हालांकि सड़क के निर्माण के उद्देश्य से भूमि का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया गया था, लेकिन संदर्भ न्यायालय ने मुआवजे के रूप में रु। भूमि के छोटे हिस्से यानी 1 बिसवा के बिक्री विलेख के आधार पर 7 लाख रुपये प्रति बीघा और अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य में असामान्य वृद्धि की अनुमति दी गई।यह भी हमारे ध्यान में लाया जाता है कि Ex.PW-1/A दिनांकित 24.11.2004 वह भूमि है जिसे पीडब्लू-2 गरजा राम ने पीडब्लू-3 कुलदिप को एक बिसवा भूमि के लिए Rs.50,000/- के लिए बेचा था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू-2 गर्जा राम भी अधिग्रहण कार्यवाही में दावेदारों में से एक है।विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिग्रहण के तहत भूमि के कुल 18-15 बीघा के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, संदर्भ न्यायालय को मुआवजे की कीमत ₹1.00 करोड़ तय करने के लिए Ex.PW-1/A पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। 7 लाख प्रति बीघा।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि ए

एफ.

जी.

एच.

613

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम कांशी राम [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

अपीलार्थीगण ने बिक्री विलेख पूर्व आर. ए. दिनांक 04.05.2001 के तहत एक तुलनीय बिक्री प्रस्तुत की है, जिसके तहत गांव डाबर परगना बहादुरपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर में स्थित भूमि की 4-51 बीघा जमीन बेची गई थी, लेकिन बिना कोई वैध कारण बताए उस पर विचार नहीं किया गया था।विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने कब्जा लेने की तारीख से अधिसूचना की तारीख तक भूमि के बाजार मूल्य पर प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से हर्जाना देने में त्रुटि की है।11. दूसरी ओर यह प्रत्यर्थीगणओं के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. एस. बंथिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थीगणओं-दावेदारों की भूमि जो सभी छोटे किसान थे, वर्ष 1988 में कब्जा कर ली गई थी और अपीलार्थीगण द्वारा उन्हें उनकी भूमि के बाजार मूल्य का भुगतान नहीं किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि गाँव में किसी अन्य तुलनीय बिक्री के अभाव में, संदर्भ न्यायालय और उच्च न्यायालय ने दस्तावेज़ Ex.PW-1/A पर उचित रूप से विचार किया और अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे की कीमत रु। 7 लाख प्रति बीघा।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि बिक्री विलेख Ex.PW-1/A के तहत भूमि रुपये की दर से बेची

गई थी। 10.00 लाख प्रति बीघा, लेकिन संदर्भ न्यायालय ने 30 प्रतिशत की कटौती के बाद अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य रु। 7 लाख प्रति बीघा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य द्वारा की गई अपीलों में कोई योग्यता नहीं है।इसके अलावा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि विचाराधीन भूमि का कब्जा वर्ष 1988 में ही ले लिया गया था और 2004 के C.W.P.No.735 में रिट याचिका में निर्देश जारी होने के बाद ही, अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना 30.07.2005 पर जारी की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देते समय प्रतिवादियों-दावेदारों को देय कुल मुआवजे के बजाय केवल संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित भूमि के बाजार मूल्य पर ऐसा ब्याज देने में त्रुटि की है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

12. शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तरदाताओं-दावेदारों के मामले के अनुसार भी सड़क के निर्माण के लिए वर्ष 1988 में विचाराधीन भूमि का कब्जा लिया गया था और 2004 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना में निर्देश जारी होने के बाद ही अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी।भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने आवश्यक सामग्री एकत्र करने के बाद, भूमि के वर्गीकरण के आधार पर एक सामान्य पुरस्कार पारित किया है।भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने भूमि को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और अंद्राली अवल के लिए Rs.61,666.00, अंद्राली डोएम के लिए Rs.51,666.00, रु। 41, 666.00 बहरली अवल के लिए, रु। 20, 000.00 बहरली डोएम के लिए और 5 रुपये, 000.00 खरियाटर और बंजर के लिए।

जी.

एच.

13. भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित पुरस्कार से असंतुष्ट, प्रत्यर्थीगण ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा जिसे जिला न्यायालय को भेजा गया था।संदर्भ न्यायालय

ने मुआवजे के लिए एक समान दर एक लाख रुपये तय की है। Ex.PW-1/A दिनांक 24.11.2004 के आधार पर प्रति बीघा 7 लाख रुपये।

14. इस स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि 2004 का C.W.P.No.735 वर्ष 2004 की पहली तिमाही में दाखिल किया गया होगा और Ex.PW-1/A दिनांकित 24.11.2004 है। बिक्री विलेख Ex.PW-1/A के तहत पीडब्लू-2 गरजा राम द्वारा पीडब्लू-3 कुलदिप को केवल एक बिसवा भूमि Rs.50,000/- के मूल्य पर बेची गई थी।यह विवाद में नहीं है कि पीडब्लू-2 गरजा राम भी विवादित फैसले में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में दावेदार है।जब कुल 2 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तो संदर्भ न्यायालय और उच्च न्यायालय ने 1 करोड़ रुपये की दर से अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से एक तुलनीय बिक्री के रूप में 1 करोड़ रुपये में दस्तावेज़ को स्वीकार करने में त्रुटि की। 7 लाख प्रति बीघा।चूंकि कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और आगे अपीलार्थीगण के इस आरोप को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व आर. ए. दिनांक 04.05.2001 में बिक्री विलेख जिसके तहत वर्ष 2001 में आसपास के गांव में भूमि की 4-51 बीघा जमीन बेची गई थी, वैध कारण बताए बिना विचार नहीं किया जाता है, हमारा विचार है कि राज्य द्वारा दायर इन अपीलों को संदर्भ/जिला न्यायालय द्वारा नए सिरे से विचार के लिए मामले को भेजकर अनुमति दी जानी चाहिए।जितना पीडब्लू-2 Ex.PW-1/ए के तहत विक्रेता है, जो भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में दावेदारों में से एक के अलावा और कोई नहीं है, इस तरह की बिक्री को भूमि के बड़े हिस्से यानी 18-15 बीघा का बाजार मूल्य तय करने के उद्देश्य से एक तुलनीय बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता था।हमारा विचार है कि संदर्भ न्यायालय ने रुपये की दर से मुआवजा तय करने के लिए ऐसे दस्तावेज पर भरोसा करने में त्रुटि की है। 7 लाख प्रति बीघा।यदि उसी गाँव में कोई अन्य तुलनीय बिक्री उपलब्ध नहीं है, तो प्रासंगिक अवधि के दौरान आस-पास के गाँवों में बिक्री पर विचार करने के लिए संदर्भ न्यायालय हमेशा खुला रहता है।अन्यथा भी मुआवजे को तय करने के अन्य तरीके हैं।रुपये की दर से बाजार मूल्य का इस तरह का गलत निर्धारण। 7 लाख प्रति बीघा, जैसा कि संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं होना चाहिए था।इस प्रकार हमारा विचार है कि राज्य द्वारा दायर अपीलों को नए निर्णय के लिए मामलों को संदर्भ न्यायालय को भेजकर अनुमति दी जानी चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

ए.

15. तदनुसार, उपरोक्त कारणों से राज्य द्वारा दायर सभी अपीलों को 2011 के आर. एफ. ए. संख्या 202 और बैच में दिनांकित सामान्य निर्णय को दरकिनार करके अनुमति दी जाती है।नतीजतन, अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे को निर्धारित करने के लिए संदर्भ न्यायालय का निर्णय रु। प्रति बीघा 7 लाख रुपये भी अलग रखे जाते हैं और मामलों को जिला न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार संदर्भों पर विचार करने और नए सिरे से पुरस्कार पारित करने के लिए नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजा जाता है।अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना 30.7.2005 पर जारी की गई थी, हम संदर्भ न्यायालय को इस फैसले की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर संदर्भों का निपटान करने का निर्देश देते हैं।हम दोनों पक्षों को अपने मामले के समर्थन में और दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं।चूंकि राज्य द्वारा दायर अपीलों को इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाती है, इसलिए अधिसूचना की तारीख से प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से दिए गए अतिरिक्त ब्याज को भी अलग कर दिया जाता है।यह संदर्भ न्यायालय के लिए खुला है कि वह कानून के अनुसार कब्जा लेने की तारीख से धारा 4 (1) अधिसूचना जारी करने की तारीख तक अतिरिक्त ब्याज के अधिनिर्णय के लिए दावेदारों के दावे पर विचार करे।हम ऐसे दावे पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, इस तरह के दावे पर कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

16. राज्य द्वारा दायर अपीलों की जितनी अनुमति दी जाती है, प्रतिवादियों-दावेदारों द्वारा दायर दीवानी अपीलों के समूह को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।यह स्पष्ट किया जाता है कि जो मुआवजा दावेदारों को पहले ही दिया जा चुका है, वह संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगा।

ई.

देविका गुजराल

मामला संदर्भ न्यायालय को प्रेषित किया गया।

एफ.

जी.

एच.